



न्यायालय

## सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

### गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2024 / 34

दर्ज तिथि:-10.01.2024

1. उकाराम पुत्र कानाराम
2. मरुओदेवी पत्नी कानाराम  
जाति भील निवासी भांभुओं का वास (पूजाबेरी) तहसील गुडामालानी

.....वादी

बनाम

1. ढेलीदेवी पत्नी चनणाराम
2. भवानीशंकर पुत्र चनणाराम
3. रिखबाराम पुत्र चनणाराम  
जाति भील निवासी कातरला तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
4. तहसीलदार गुडामालानी

.....असल प्रतिवादीगण

.....तकमिली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री डालूराम चौधरी।

प्रतिवादीगण:-एकतरफा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188

राजस्थान काश्तकारी अधि-1955

---निर्णय:--

निर्णय तिथि:-30.09.2024

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 169/99/8.4174 है0 वाके ग्राम भांभुओं का वास तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है।



जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काशत में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते हैं। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद विधिवत तामील अनुस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अभिभाषक वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार गुढामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुढामालानी द्वारा अपने पत्रांक/भूअ./2024/1718 दिनांक 24.07.2024 के द्वारा राजस्थान काशतकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुढामालानी द्वारा अपने पत्रांक/भूअ./2024/1718 दिनांक 24.07.2024 के द्वारा राजस्थान काशतकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
<p><b>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields.</b> - The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</p>	<p>प्रकरण में दिनांक 05.07.2024 को तहसीलदार गुढामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
<p>प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया</p>	<p>1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुढामालानी के नोटिस क्रमांक/2024/576 दिनांक 05.04.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 05.07.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।	2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुडामालानी के नोटिस क्रमांक/2024/577-580 दिनांक 05.04.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 05.07.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।
--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2072-2075 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 169/99/8.4174 है0 वाके ग्राम भांभुओं का वास तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामिलती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा-ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।
4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जिन पर विश्लेषण इस प्रकार है:-

**प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:-** प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह-काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

**द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:-** प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

**तृतीय- अपूरणीय क्षति:-** प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 169/99/8.4174 है 0 वाके ग्राम भांभुओं का वास तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म	बरंग हिस्सा
उकाराम पुत्र कानाराम	1/3				नीला
मरुओदेवी पत्नी कानाराम जाति भील सा. देह खातेदार। रहन-उकाराम का हिस्सा आरएमजीबी गुडामालानी।	2/3	169/99	1.9425	बा.सो.	
किता 01 रकबा 1.9425 हैक्टेयर					
भवानीशंकर पुत्र चनणाराम जाति भील सा. कातरला	2/5				
रिखबाराम पुत्र चनणाराम जाति भील सा. कातरला खातेदार	2/5	169/99	6.4749	बा.सो.	लाल
ढेलीदेवी पत्नी चनणाराम जाति भील सा. कातरला खातेदार	1/5				
किता 01 रकबा 6.4749 हैक्टेयर					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रैजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुडामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 30.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर

गुडामालानी-बाड़मेर

सत्यमेव जयते

गुडामालानी



न्यायालय  
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी  
गुडामालानी-बाड़मेर  
(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2024 / 34

दर्ज तिथि:-10.01.2024

1. उकाराम पुत्र कानाराम
2. मरुओदेवी पत्नी कानाराम  
जाति भील निवासी भांभुओं का वास (पूजाबेरी) तहसील गुडामालानी

.....वादी

बनाम

1. ढेलीदेवी पत्नी चनणाराम
2. भवानीशंकर पुत्र चनणाराम
3. रिखबाराम पुत्र चनणाराम  
जाति भील निवासी कातरला तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
4. तहसीलदार गुडामालानी

.....असल प्रतिवादीगण

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित

वादी अधिवक्ता:- श्री डालूराम चौधरी।  
प्रतिवादीगण :-एकतरफा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188  
राजस्थान काश्तकारी अधि-1955

-:पर्चा डिक्री:-

दावा वादी अन्तर्गत धारा-88, 53, 188  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत  
तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया  
जाता है एवं हाल आराजीखसरा संख्या  
169/99/8.4174 है0 वाके ग्राम भांभुओं का  
वास तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक  
कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित  
तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है।  
पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम

करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म	बरंग हिस्सा
उकाराम पुत्र कानाराम	1/3	169/99	1.9425	बा.सो.	नीला
मरुओदेवी पत्नी कानाराम जाति भील सा. देह खातेदार। रहन-उकाराम का हिस्सा आरएमजीबी गुडामालानी।	2/3				
किता 01 रकबा 1.9425 हैक्टेयर					
भवानीशंकर पुत्र चनणाराम जाति भील सा. कातरला	2/5	169/99	6.4749	बा.सो.	लाल
रिखबाराम पुत्र चनणाराम जाति भील सा. कातरला खातेदार	2/5				
ढेलीदेवी पत्नी चनणाराम जाति भील सा. कातरला खातेदार	1/5				
किता 01 रकबा 6.4749 हैक्टेयर					

नजरी नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 30.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)  
सहायक कलक्टर  
गुडामालानी-बाड़मेर

सत्यमेव जयते

गुडामालानी